विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक 11308 /22/वि–7/ग्रा.आ/ 2016/ भोपाल, दिनांक 21/09/2016

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य आवंटन के संबंध में।

संदर्भः– विकास आयुक्त कार्यालय का पत्र क्रमांक 1649/22/वि–7/2016, भोपाल दिनांक 03.09.2016

———

उपरोक्त संदर्भित पत्र व्दारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2016–17 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। मेरे व्दारा ली जा रही वीडियो कान्फ्रेस में भी विषयान्तर्गत सलाह दी गई है।

2/ दिनांक 07.09.2016 को सागर में सागर संभाग की समीक्षा बैठक में चर्चा में यह पाया गया कि उपलब्ध कम समय में SECC-2011 में दर्ज परिवारों में से अपात्रों को चिन्हित कर आवास सॉफ्ट में प्रविष्टि करने, वर्ष 2016–17 के लक्ष्य के मुताबिक निर्दिष्ट प्राथमिकता क्रम में हितग्राहियों की सूची तैयार करने, उनके बैंक खाते खुलवाने, भौतिक सत्यापन कराने और उनके दो बार geotagged फोटो आदि लेकर आवास सॉफ्ट में प्रविष्टि करने हेतु जनपद पंचायत स्तर पर उपलब्ध अमला पर्याप्त नहीं होगा। अतः निम्न कार्य संपादित कराने के लिए अमले की समुचित व्यवस्था हेत रू. 1000/–(एक हजार) प्रति ग्राम पंचायत के मान से प्रशासकीय मद से जिला कलेक्टर के विकल्प पर धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया :–

(i) आवास सॉफ्ट में दर्ज हितग्राहियों में से वर्तमान में अपात्र हितग्राहियों के नाम के समक्ष 'अपात्र' होने की प्रविष्टि करना।

(ii) प्राथमिकता क्रम में चयनित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करना एवं आवास सॉफ्ट में प्रविष्टि करना।

(iii) हितग्राहियों का बैंक खाता नम्बर, आईएफएससी कोड एवं आधार सीडिंग पूर्ण कराना।

(iv) हितग्राहियों का उनके वर्तमान आवास के साथ geotagged फोटो एवं हितग्राहियों व्दारा प्रस्तावित आवास गृह निर्माण स्थल के साथ geotagged फोटो लेना एवं आवास–सॉफ्ट में अपलोड करना।

(v) हितग्राही एवं उसकी पात्रता के भौतिक सत्यापन का Random Sample Check कराना।

(vi) हितग्राही का स्वीकृति पत्र तैयार करना।

3/ रू. 1000/– प्रति ग्राम पंचायत के मान से उपलब्ध कराई जा रही राशि का व्यय जिला कलेक्टर उपरोक्त कार्यों के लिए मानदेय/अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में कर सकेंगे। किस कार्य विशेष के लिए कितनी राशि पारिश्रमिक/मानदेय दी जाएगी इसका निर्णय संबंधित जिला कलेक्टर व्दारा लिया जाए।

21.09.16

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 11309 /22/वि–7/ग्रा.आ/ 2016/ भोपाल, दिनांक 21/09/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल को सूचनार्थ।

2. संचालक, ग्रामीण रोजगार, भोपाल को धनराशि जारी करने हेतु।

विकास आयुक्त
मध्य प्रदेश